

भारतीय आयुध निर्माणियाँ

राईफल फौक्टरी, ईशापुर

निर्माणी आदेश भाग-1

आदेश द्वारा डी के महापात्र, आई ओ एफ एस, महाप्रबंधक

संख्या - 96

दिनांक - 09.07.2020

विषय : कार्य समय

उत्पादन हित में निर्माणी की सभी उत्पादन, गैर उत्पादन, गुणवत्ता नियंत्रण एवं मेन्टेनेन्स से जुड़े अनुभाग दिनांक 10.07.2020 से 11.07.2020 तक 44¼ साप्ताहिक घंटे की सर्वाधिक समयसीमा के अंदर कार्य करेंगे। अत्यावश्यक सेवा से जुड़े अनुभाग सक्षम अधिकारी से अलग से अनुमोदन लेंगे। / In the interest of production all Production, Non-Production, related Quality Control & Maintenance Sections of the factory will work from 10.07.2020 to 11.07.2020 within the maximum ceiling limit of 44¼ hrs. a week. Essential Service Sections will take separate sanction from the Competent Authority.

तदनुसार, उपर्युक्त समय के दौरान कार्यदिबस में निर्माणी की सामान्य दिन पाली का कार्यसमय निम्न प्रकार होगा / Accordingly, the working hours of the factory in General Day Shift will be as follows –

The working hours for All Group-A Officers and Group-B Officers will be from 08:30 hrs. to 17:30 hrs. (Interval for Rest from 13:00 hrs. to 14:00 hrs except Saturday).

कार्यदिबस Working Days	सामान्य पाली General Shift	कार्यसमय Working Hours	मध्यावकाश Interval for Rest
शुक्रवार Friday	औद्योगिक कर्मचारियों Industrial Employees	08:00 बजे से 17:00 बजे तक 08:00 hrs. to 17:00 hrs.	12:30 बजे से 13:30 बजे तक 12:30 hrs. to 13:30 hrs.
	अराजपत्रित अधिकारी एवं गैर औद्योगिक कर्मचारियों Non-Gazetted Officers & Non-Industrial Employees	08:15 बजे से 17:15 बजे तक 08:15 hrs. to 17:15 hrs.	12:30 बजे से 13:30 बजे तक 12:30 hrs. to 13:30 hrs.
शनिवार Saturday	औद्योगिक कर्मचारियों Industrial Employees	08:00 बजे से 12:45 बजे तक 08:00 hrs. to 12.45 hrs.	प्रयोज्य नहीं Not Applicable
	अराजपत्रित अधिकारी एवं गैर औद्योगिक कर्मचारियों Non-Gazetted Officers & Non-Industrial Employees	08:15 बजे से 13:00 बजे तक 08:15 hrs. to 13:00 hrs.	

There will be no change in the working hours for Contractual Labours and their working hours will be as per RFI Circular No. 227 dated 15.06.2020.

स्टैगरिंग ड्युटी एवं रात्रिपाली नहीं रहेगा (आपातकालीन सेवाएं छोड़के) / No 'Staggerred Shift' and 'Night Shift' except essential service sections.

निर्माणी की आपातकालीन सेवाएं जारी रखने के लिए सुरक्षा, अनुरक्षण, फायर सर्विस एवं अन्य आपातकालीन सेवाएं से जुड़े कर्मचारी को उनको अनुभाग प्रमुख द्वारा इस प्रकार समयोजित किया जाए कि जिससे निर्माणी में सेवा में कोई अवरोध न हो। / To ensure availability of emergency services in the factory, employees related to Security, Maintenance, Fire Service and other emergency services will be detailed in duties by Head of Section in such a way that there should not be any interruption of services in the factory.

जो कर्मचारी स्टैगरिंग ड्युटी पर होंगे उनके कार्य का समय तदनुसार समयोजित किया जाएगा। निरंतर प्रक्रिया पर कार्यरत तथा आवश्यक सेवाओं से संबन्धित कर्मचारि अधिकतम समयसीमा के अंदर ही पाली को पुरा करेंगे। / The timings of those who are on staggering duty will be adjusted suitably. Continuous process workers and essential services will cover the shift within the ceiling of the timings.

Alsan
कार्यशाला प्रबंधक/स्टोर 9/7/2020
कृते महाप्रबंधक

वितरण (केवल कोमनेट से) :

समस्त अधिकारीगन

समस्त अनुभागप्रमुख